



## उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग

18-ए, न्याय मार्ग, इलाहाबाद-211 001

पत्रांक-उ0शि0आयोग/सी-665/289 / 2017-18

दिनांक- जुलाई, 2017

### विज्ञप्ति सं० 4 (48)

विज्ञापन संख्या-48 के अन्तर्गत बी०एड० महाविद्यालय के प्राचार्य पद की अर्हता के प्रस्तर- 6.3.4 में 10 वर्षों का शिक्षण संस्थान में शिक्षण अनुभव का उल्लेख है जबकि UGC/NCTE के निर्धारित मानदण्डों के अनुसार यह अनुभव शिक्षक शिक्षा (Teacher Education) के क्षेत्र में वांछित है। अतः उक्त के दृष्टिगत आयोग की बैठक सं०-963 दिनांक-28 जून, 2017 से प्रस्तर-6.3.4 - "विश्वविद्यालय, महाविद्यालयों एवं अन्य शिक्षण संस्थाओं में कुल 15 वर्षों के शिक्षण (Teaching)/शोध (Research)/प्रशासन (Administration) का अनुभव, जिसमें कम से कम 10 वर्षों का शिक्षण संस्थान में शिक्षण अनुभव हो, के साथ Associate Professor (Reader)/Professor" को निम्नवत् संशोधित किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया।

प्रस्तर-6.3.4- "विश्वविद्यालय, महाविद्यालयों एवं अन्य शिक्षण संस्थाओं में कुल 15 वर्षों के शिक्षण (Teaching)/शोध (Research)/प्रशासन (Administration) का अनुभव, जिसमें कम से कम 10 वर्षों का शिक्षण संस्थान में शिक्षक शिक्षा (Teacher Education) के क्षेत्र में अनुभव हो, के साथ Associate Professor (Reader)/Professor"।

सचिव

भवदीय,

  
(संजय सिंह)

सचिव/वित्त एवं लेखाधिकारी

